निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

08 चैत्र 1944 (श0)

(सं0 पटना 133) पटना, मंगलवार, 29 मार्च 2022

बिहार विधान सभा सचिवालय

———————

अधिसूचना

28 मार्च 2022

सं० वि०स०वि०–06/2022–**1393**/वि०स०––''बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक–28 मार्च, 2022 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
शैलेन्द्र सिंह,
सचिव।

[वि०स०वि०–06/2022]

बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022

बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 12, 2010) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत–गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।– (1) यह अधिनियम बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो, सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाय।
2. बिहार अधिनियम 12, 2010 की धारा 20(2) में संशोधन।– बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 12, 2010) की धारा– 20 (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगीः–
   "20 (2) कुलपति उच्चतम स्तर की क्षमता, निष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत प्रतिबद्धता रखने वाले व्यक्ति होंगे। वे कृषि विज्ञान के ख्याति प्राप्त विद्वान होंगे, जिन्हें विश्वविद्यालय प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम 10 (दस) वर्षों का अनुभव प्राप्त हो अथवा जिनके पास किसी प्रतिष्ठित शोध या अकादमिक प्रशासकीय संगठन में न्यूनतम 10 (दस) वर्षों का अकादमिक नेतृत्व प्रदर्शन का प्रमाण हो।"
3. बिहार अधिनियम 12, 2010 की धारा 20(3) में संशोधन।– बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 12, 2010) की धारा– 20 (3) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगीः–
   "20 (3) सर्च कमिटी की सूचना का व्यापक प्रचार किया जाएगा और वह सभी कृषि विश्वविद्यालयों/संस्थानों में जाएगी। सर्च के पैनल का कमिटी चयन करेगी और तीन नामों के पैनल का सुझाव राज्य सरकार को देगी। कुलाधिपति के द्वारा सर्च कमिटी की अनुशंसा तथा राज्य सरकार द्वारा अग्रसारण के आलोक में कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।"
4. बिहार अधिनियम 12, 2010 की धारा 20(5) में संशोधन।– बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 12, 2010) की धारा– 20 (5) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगीः–
   "20 (5) कुलपति अपने पद पर आसीन होने की तारीख से पाँच वर्षों तक अथवा 70 (सत्तर) वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, पद धारण करेगा। प्रथम कुलपति की रिक्ति पाँच वर्ष के पूर्व होने पर पाँच वर्ष के अवशेष अवधि के लिए पुनः राज्य सरकार कुलपति नियुक्त कर सकेगी।"

उद्देश्य एवं हेतु

चूंकि राज्य में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान की सुदृढ़ व्यवस्था के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 पारित किया गया है।

चूंकि राज्य में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण एवं सुदृढ़ व्यवस्था के लिए राज्य सरकार द्वारा सहरसा, पूर्णियॉ, किशनगंज, डुमरॉव में कृषि महाविद्यालय तथा नूरसराय में उद्यान महाविद्यालय की स्थापना की गयी है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय, पटना, कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, आरा एवं कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, सबौर की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

चूंकि बिहार कृषि विश्वविद्यालय में कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशासन के सर्वोच्च मानक को स्थापित करने के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 की कतिपय धारा में संशोधन आवश्यक समझा गया है। राज्य में कृषि अनुसंधान एवंद शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था विकसित करने के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की धारा 20(2), 20(3) एवं 20(5) में संशोधन अपेक्षित है। यही इसका उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित करना ही विधेयक का अभीष्ट है।

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
भार–साधक सदस्य

शैलेन्द्र सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा।

पटना
दिनांक–28.03.2022

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 133-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in